भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3006

दिनांक 18.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

रैंप योजना का कार्यान्वयन

3006. डॉ. निशिकान्त दुबे:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
डॉ. भोला सिंह:
श्री अनूप संजय धोत्रे:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री पी.पी. चौधरी:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री बलभद्र माझी:
श्री अनिल फिरोजिया:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रणनीतिक निवेश योजनाएं (एसआईपी) प्रस्तुत करने वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की संख्या और स्वीकृत प्रस्ताव प्राप्त करने वाले राज्यों के ब्यौरे सहित 'रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (रैम्प) योजना के कार्यान्वयन की नवीनतम स्थिति का राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर एवं राजस्थान के पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित रैम्प योजना के अंतर्गत अब तक लाभान्वित एमएसएमई की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और जिला स्तर के आंकड़े सहित कुल संख्या कितनी है;

(ग) परिणाम आधारित वित्तपोषण तंत्र के अंतर्गत अब तक सरकार को विश्व बैंक सहायता की प्रतिपूर्ति की गई मात्रा कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने एमएसमएई प्रक्रियाओं में सुधार, बाजार पहुंच, हरित पहलों और महिला स्वामित्व उद्यमों हेतु समर्थन के संबंध में रैम्प के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश एवं विशेष रूप से बुलंदशहर जिले में योजना के परिणामों संबंधी आंकड़े सहित ऐसे आकलन के प्रमुख निष्कर्ष क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने कार्यनीतिक निवेश योजनाएं (एसआईपी) प्रस्तुत की हैं और मंत्रालय ने इसका मूल्यांकन किया है और गैप फंडिंग के लिए 3031.77 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अनुमोदित किया है।

(ख): रैंप स्कीम के माध्यम से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अब तक 1084331 एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं। लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): अब तक, रैंप स्कीम के अंतर्गत संवितरण लिंक्ड संकेतक (डीएलआई) की उपलब्धि के सापेक्ष विश्व बैंक से 257.23 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2156.6 करोड़ रुपये) का दावा किया गया है।

(घ) एवं (ङ): रैंप कार्यक्रम में एक अंतर्निहित मजबूत निगरानी और मूल्यांकन (एमएंडई) ढांचा है, जिसमें प्रगति, एसआईपी कार्यान्वयन और अन्य डिलिवरेबल्स के संबंध में निरंतर प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है।

***

अनुबंध-I

दिनांक 18.12.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3006 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभान्वित एमएसएमई की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
2	आंध्र प्रदेश	42916
3	अरुणाचल प्रदेश	675
4	असम	123507
5	बिहार	58477
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ	4877
8	दादरा नगरहवेली एवं दमन और दीव	0
9	दिल्ली	0
10	गोवा	1907
11	गुजरात	0
12	हरियाणा	150
13	हिमाचल प्रदेश	220
14	जम्मू एवं कश्मीर	7356
15	झारखंड	7796
16	कर्नाटक	84
17	केरल	3586
18	लद्दाख	0
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	21133
21	महाराष्ट्र	64752
22	मणिपुर	7375
23	मेघालय	22578
24	मिजोरम	59553
25	नागालैंड	7655
26	ओडिशा	7479
27	पुदुचेरी	0
28	पंजाब	33512
29	राजस्थान	751
30	सिक्किम	1568
31	तमिलनाडु	2456
32	तेलंगाना	7642
33	त्रिपुरा	0
34	उत्तर प्रदेश	8140
35	उत्तराखंड	11000
36	पश्चिम बंगाल	577186
	कुल	**1084331**